

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

शुद्धि पत्र

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से विभिन्न तिथियों में निर्गत स्वीकृत्यादेश में संस्थान द्वारा निर्गत हस्तलिखित अस्पष्ट प्राक्कलन/कम्प्यूटर टंकण भूल के कारण पजीकरण सख्या (सी०आर०न०) निम्नांकित विवरणी के अनुसार कॉलम-5 में शुद्ध पजीकरण सख्या (सी०आर०न०) अंकित है:-

क्रमांक	विभागीय स्वीकृत्यादेश सख्या	मरीज का नाम एवं स्वीकृत्यादेश क्रमांक	स्वीकृत्यादेश में अंकित पजीयन सख्या (सी०आर०न०)	संस्थान द्वारा निर्गत चिकित्सा प्राक्कलन के अनुसार, शुद्ध पजीयन सख्या (सी०आर०न०)	संस्थान से प्राप्त शुद्धिकरण हेतु निर्गत पत्रांक/दिनांक
1	2	3	4	5	6
1	1588(14)/ 02 06 2026	(3) रेशमा कुमारी	2023124703 (प्राक्कलन हस्तलिखित अस्पष्ट)	सी०आर०न०- 2023124703 (चि०प्रा०प्रति सलग्न)	पत्रांक-3196 / 2026 दिनांक- 16 07 2026
2	1660(14)/ 09 06 2026	(25) बिभा कुमारी	20181037899 (प्राक्कलन हस्तलिखित अस्पष्ट)	सी०आर०न०- 20181037855 (चि०प्रा०प्रति संलग्न)	पत्रांक-3197 / 2026 दिनांक-16.07.2026
3	1754(14)/ 16.06 2026	(2) मनीष कुमार पटेल	2025194898 (प्राक्कलन हस्तलिखित अस्पष्ट)	रोगी कार्ड/प्राक्कलन सी०आर०न०- 2025194898 (चि०प्रा०प्रति सलग्न)	पत्रांक-3198 / 2026 दिनांक-16 07.2026
4	1754(14)/ 16 06 2026	(2) प्रभु सिंह	2025749883 (प्राक्कलन हस्तलिखित अस्पष्ट)	रोगी कार्ड/प्राक्कलन सी०आर०न०- 2025749883 (चि०प्रा०प्रति सलग्न)	पत्रांक-3199 / 2026 दिनांक-16.07.2026

2. उपर्युक्त तालिका के कॉलम-2 में अंकित स्वीकृत्यादेश के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित पजीयन सख्या (सी०आर०न०) के स्थान पर सबधित कॉलम-5 में अंकित शुद्ध पजीयन सख्या (सी०आर०न०) अंकित समझा जाय।

3. उपर्युक्त तालिका के अनुसार कॉलम-02 में अंकित स्वीकृत्यादेश यथा सशोधित समझा जाय।

नोट.- भविष्य में इस तरह के मामले में स्वीकृत्यादेश के कडिका-4 का अनुपालन करते हुए रोगी का ईलाज सुनिश्चित किया जाय। साथ ही साथ संस्थान से कम्प्यूटरकृत चिकित्सा प्राक्कलन निर्गत किया जाय, हस्तलिखित चिकित्सा प्राक्कलन में अक अस्पष्ट अंकित होने के कारण मरीज को परेशानी बढ़ जाती है एवं स्वीकृत्यादेश में गलत अंक अंकित हो जाते हैं।

ह०/-

(डॉ०(श्रीमति) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-14 / विविध-07 / 2026 2284 (14)

पटना, दिनांक- 06/8/2026

प्रतिलिपि :-निदेशक, सजय गंधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली रोड, लखनऊ के पत्रांक-पी०जी०आई०/अस्प०लेखा/एफ-III/3196/3197/3198/3199/2026, दिनांक-16.07.2026 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना/लेखापाल स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना एवं संबंधित मरीज को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना।